

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I---खण्ड 2 PART I---Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 15] No. 15] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1999

सं० ए-12022/11/97-पी ई-I.—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1964 की धारा 14 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एन. धनराजु, उपाध्यक्ष, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को उनके अपने कार्य के अतिरिक्त, 23-3-99 से 22-5-99 तक की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपती है।

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1999

File No. A-12022/11/97-PE-I.—In exercise of the powers conferred on the Central Govt. by section 14 A of the Major Port Trust Act, 1964 the Central Govt. entrusts the additional charge of the post of Chairman, Visakhapatnam Port Trust to Shri N. Dhanaraju Deputy Chairman, Visakhapatnam Port Trust in addition to his own duties for the period with effect from 23-3-99 to 22-5-99.

K. V. RAO, Jt. Secv.